

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 458/14

संस्थापन दिनांक:-28/07/14

फाईलिंग नं. 233504004552014

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

चंदू उर्फ रवि पिता चैतराम सातनकर  
उम्र 25 वर्ष, निवासी गंज बस स्टेंड आमला,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- ( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 18.07.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 15.07.2014 को समय 01:30 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12½ इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 15.07.2014 को प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति बस स्टेंड आमला में लोहे की छुरी हाथ में लेकर लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिये लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदी कर मय छुरी के पकड़ा गया। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 535/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत

किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.07.2014 को समय 01:30 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12½ इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

5 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 15.07.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह बस स्टैंड आमला पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिये मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 535/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए1 को वही लोहे की छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त की थी।

6 शेख अलीम (अ.सा.-2) एवं यादोराव (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी शेख अलीम (अ.सा.-2) एवं यादोराव (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.

—1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना मिलने पर बस स्टैंड मौके पर जाना तथा वहां पर अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ना तथा उससे लोहे की छुरी जप्त कर उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा छुरी को किससे नापा गया था। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि टेप से नापा था। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि जप्ती प्रपत्र में नमूना सील नहीं लगायी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उसमें दिनांक के स्थान पर वाईटनर लगाकर तिथि ठीक की गयी है। साथ ही रोजनामचा सान्हा में ओव्हर राईटिंग की गयी है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) में जप्तशुदा आयुध मौके पर सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि मौके पर जप्तशुदा आयुध को सीलबंद किया गया था। साथ ही विवेचक साक्षी के कथनों से आयुध की नापजोप किये जाने के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण प्रकट नहीं हुआ है। साथ ही साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि आयुध की लंबाई 6 इंच से कम है तथा जप्ती पत्रक में चौड़ाई ढेड़ इंच लेख की गयी है। विवेचक साक्षी के कथनों में एवं जप्ती प्रपत्रों में आयुध की लंबाई में भिन्नता प्रकट हो रही है। उपर्युक्त परिस्थितियां अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद करती हैं जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.07.2014 को समय 01:30 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12½ इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त चंदू उर्फ रवि को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)